

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

क्रमांक: एफ/वमखुवि/क्षे.से.प्र./प्रवेश/2016/ 2384

दिनांक: 05.08.16
06

कार्यालय आदेश

विद्या परिषद की 54 वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 54/08(9) के क्रम में छात्रों को प्रवेश शुल्क वापसी के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया गया कि प्रवेश आवेदन में विद्यार्थी द्वारा गलती होती है तो उसे शुल्क नहीं लौटाया जाएगा एवं विश्वविद्यालय स्तर पर कोई गलती होती है तो प्रोसेशन चार्ज के रूप में 200/-रु काटकर विद्यार्थी को शुल्क वापिस लौटाया जाएगा। बी.एड. कार्यक्रमों में शुल्क लौटाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश, शिक्षा विद्यापीठ को प्रदान किए गए।

उक्त आदेश प्रवेश सत्र जुलाई 2016 से लागू किये जाते हैं।

निदेशक

प्रतिलिपी सूचनार्थ:-

1. सचिव, कुलपित, कुलपति सचिवालय वमखुवि कोटा।
2. कुल सचिव, वमखुवि, कोटा को प्रति भिजवाकर लेख है कि विद्या परिषद में निर्णय की अनुपालना रिपोर्ट।
3. समस्त विभागाध्यक्ष वमखुवि कोटा।
4. समस्त संकाय सदस्य वमखुवि कोटा।
5. समस्त निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुवि अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा उदयपुर/भरतपुर
6. प्रभारी, वेबसाईट, वमखुवि, को भेजकर लेख है कि इसे विश्वविद्यालय की वेबसाईड पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
7. रक्षित पत्रावली, क्षेत्रीय सेवा प्रभाग वमखुवि कोटा।


सहायक निदेशक